



पत्रांक— ३४९/२४१/NULM/Teen/2001(SM&ID)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र० लखनऊ  
नवबेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

दिनांक १५/५/२०१५

प्राथमिकता / समयबद्ध

अध्यक्ष,  
बेगम सेवा संस्थान,  
कटरा बख्शी, नई बस्ती,  
फरलखाबाद।

### नोटिस

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत सन्दर्भ संस्थाओं को इम्पैनल्ड किये जाने हेतु प्राप्त आर०एफ०पी० संख्या—३४९/२४१/NULM/Teen/2001(SM&ID)) दिनांक १३-०१-२०१५ के माध्यम से जारी तकनीकी निविदा के सापेक्ष प्राप्त निविदाओं के परिणाम इस कार्यालय के पत्रांक संख्या—२७५/२४१/NULM/Teen/2001(SM&ID) दिनांक २८.०४.२०१५ के द्वारा आपकी संस्था को चयनित/इम्पैनल्ड किया गया है तथा उक्त तारतम्य में कार्यादेश पत्रांक ६२६/२४१/NULM/Teen/2001(SM&ID) दिनांक २०.०५.२०१५ निर्गत किया गया है। तदोपरान्त राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई एवं सन्दर्भ संस्थाओं के मध्य अनुबन्ध किये जाने हेतु दिनांक १०.०६.२०१५ तक की तिथि निश्चित की गयी थी। निश्चित तिथि तक आपकी संस्था द्वारा अनुबन्ध के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जबकि इस कार्यालय द्वारा योजना के त्वरित कियान्वयन हेतु अनुबन्ध कर तत्काल कार्य प्रारम्भ करने हेतु आपसे निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। कृपया स्पष्ट करें कि आपके द्वारा आ०एफ०पी० प्रांवधानों के अनुसार सम्पूर्ण औपचारिक कार्यवाही पूर्ण न किये जाने की दशा में क्यों न आपकी संस्था द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि की ई०एम०डी० को जप्त करते हुए आपकी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

कृपया उपरोक्त संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत होने के १०. दिवसों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें एवं अनुबन्ध की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें अन्यथा इस कार्यालय को लिखित उत्तर न प्राप्त होने की दशा में यह माना जायेगा कि उक्त के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदनुसार आपकी संस्था द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को जप्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(शिलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १ सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
- २ निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०।
- ३ सहायक बेवमास्टर सूडा को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शिलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक



पत्रांक—

1517 /241/NULM/Teen/2001(SM&amp;ID)

रमाय : 0522-2286709

फैक्स : 0522-2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ

नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

दिनांक 14/4/2015

प्राथमिकता / समयबद्ध

अध्यक्ष,  
शिवमं ग्राम उत्थान सेवा संस्थान,  
ग्राम—माधवपुर, पो0—महराजपुर,  
आजमगढ़।

नोटिस

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत सन्दर्भ संस्थाओं को इम्पैनल्ड किये जाने हेतु प्राप्त आर0एफ0पी0 संख्या—3849/241/NULM/Teen/2001(SM&ID)) दिनांक 13-01-2015 के माध्यम से जारी तकनीकी निविदा के सापेक्ष प्राप्त निविदाओं के परिणाम इस कार्यालय के पत्रांक संख्या—275/241/NULM/Teen/2001(SM&ID) दिनांक 28.04.2015 के द्वारा आपकी संस्था को चयनित/इम्पैनल्ड किया गया है तथा उक्त तारतम्य में कार्यादेश पत्रांक 626/241/NULM/Teen/2001(SM&ID) दिनांक 20.05.2015 निर्गत किया गया है। तदोपरान्त राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई एवं सन्दर्भ संस्थाओं के मध्य अनुबन्ध किये जाने हेतु दिनांक 10.06.2015 तक की तिथि निश्चित की गयी थी। निश्चित तिथि तक आपकी संस्था द्वारा अनुबन्ध के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जबकि इस कार्यालय द्वारा योजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु अनुबन्ध कर तत्काल कार्य प्रारम्भ करने हेतु आपसे निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। कृपया स्पष्ट करें कि आपके द्वारा आ0एफ0पी0 प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण औपचारिक कार्यवाही पूर्ण न किये जाने की दशा में क्यों न आपकी संस्था द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि की ई0एम0डी0 को जप्त करते हुए आपकी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

कृपया उपरोक्त संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत होने के 10 दिवसों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें एवं अनुबन्ध की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें अन्यथा इस कार्यालय को लिखित उत्तर न प्राप्त होने की दशा में यह माना जायेगा कि उक्त के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदनुसार आपकी संस्था द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को जप्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।?

शिलेन्द्र कुमार सिंह  
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1 सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2 निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
- 3 सहायक बेवमास्टर सूडा को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
शिलेन्द्र कुमार सिंह  
मिशन निदेशक



रमाय 0522-2286709  
फैक्स 0522-2286711

राज्य नगरीय विकास अभियान उम्प्र० लखनऊ  
नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

पत्रांक— 3849 /241/NULM/Teen/2001(SM&ID)

दिनांक 14/5/2015

### प्राथमिकता / समयबद्ध

अध्यक्ष,  
ग्राम सेवा संस्थान,  
ग्राम— करतारपुर, पो०—भनवरनाथ,  
आजमगढ़।

### नोटिस

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत सन्दर्भ संस्थाओं को इम्पैनल्ड किये जाने हेतु प्राप्त आर०एफ०पी० संख्या—3849/241/NULM/Teen/2001(SM&ID)) दिनांक 13-01-2015 के माध्यम से जारी तकनीकी निविदा के सापेक्ष प्राप्त निविदाओं के परिणाम इस कार्यालय के पत्रांक संख्या—275/241/NULM/Teen/2001(SM&ID) दिनांक 28.04.2015 के द्वारा आपकी संस्था को चयनित/इम्पैनल्ड किया गया है तथा उक्त तारतम्य में कार्यादेश पत्रांक 626/241/NULM/Teen/2001(SM&ID) दिनांक 20.05.2015 निर्गत किया गया है। तदोपरान्त राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई एवं सन्दर्भ संस्थाओं के मध्य अनुबन्ध किये जाने हेतु दिनांक 10.06.2015 तक की तिथि निश्चित की गयी थी। निश्चित तिथि तक आपकी संस्था द्वारा अनुबन्ध के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जबकि इस कार्यालय द्वारा योजना के त्वरित कियान्वयन हेतु अनुबन्ध कर तत्काल कार्य प्रारम्भ करने हेतु आपसे निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। कृपया स्पष्ट करें कि आपके द्वारा आर०एफ०पी० प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण औपचारिक कार्यवाही पूर्ण न किये जाने की दशा में क्यों न आपकी संस्था द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि की ई०एम०डी० को जप्त करते हुए आपकी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

कृपया उपरोक्त संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत होने के 10 दिवसों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें एवं अनुबन्ध की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें अन्यथा इस कार्यालय को लिखित उत्तर न प्राप्त होने की दशा में यह माना जायेगा कि उक्त के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदनुसार आपकी संस्था द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को जप्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

शिलेन्द्र कुमार सिंह  
मिशन निदेशक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1 सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उम्प्र० शासन।
- 2 निदेशक, स्थानीय निकाय, उम्प्र०।
- 3 सहायक बेवमास्टर सूडा को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

शिलेन्द्र कुमार सिंह  
मिशन निदेशक



पत्रांक—/515/241/NULM/Teen/2001(SM&ID)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र० लखनऊ  
नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

दिनांक 13/01/2015

प्राथमिकता / समयबद्ध

अध्यक्षा,  
श्री सेवाश्रम ग्रामोत्थान समिति,  
1175, साउथ सिविल लाईन,  
मुजफ्फरनगर।

### नोटिस

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत सन्दर्भ संस्थाओं को इम्पैनल्ड किये जाने हेतु प्राप्त आर०एफ०पी० संख्या—3849/241/NULM/Teen/2001(SM&ID)) दिनांक 13-01-2015 के माध्यम से जारी तकनीकी निविदा के सापेक्ष प्राप्त निविदाओं के परिणाम इस कार्यालय के पत्रांक संख्या—275/241/NULM/Teen/2001(SM&ID) दिनांक 28.04.2015 के द्वारा आपकी संस्था को चयनित/इम्पैनल्ड किया गया है तथा उक्त तारतम्य में कार्यादेश पत्रांक 626/241/NULM/Teen/2001(SM&ID) दिनांक 20.05.2015 निर्गत किया गया है। तदोपरान्त राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई एवं सन्दर्भ संस्थाओं के मध्य अनुबन्ध किये जाने हेतु दिनांक 10.06.2015 तक की तिथि निश्चित की गयी थी। निश्चित तिथि तक आपकी संस्था द्वारा अनुबन्ध के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जबकि इस कार्यालय द्वारा योजना के त्वरित कियान्वयन हेतु अनुबन्ध कर तत्काल कार्य प्रारम्भ करने हेतु आपसे निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। कृपया स्पष्ट करें कि आपके द्वारा आर०एफ०पी० प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण औपचारिक कार्यवाही पूर्ण न किये जाने की दशा में क्यों न आपकी संस्था द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि की ₹०५०००० को जप्त करते हुए आपकी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

कृपया उपरोक्त संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत होने के 10 दिवसों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें एवं अनुबन्ध की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें अन्यथा इस कार्यालय को लिखित उत्तर न प्राप्त होने की दशा में यह माना जायेगा कि उक्त के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदनुसार आपकी संस्था द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को जप्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(शिलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1 सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2 निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०।
- 3 सहायक बेवमास्टर सूडा को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शिलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक



पत्रांक— १५४ /२४१/NULM/Teen/2001(SM&ID)

रमाष : ०५२२—२२८६७०९  
फैक्स : ०५२२—२२८६७११  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र० लखनऊ  
नवघंटना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—२२६००१

दिनांक १५/५/२०१५

प्राथमिकता / समयबद्ध

प्रबन्धक / सचिव,  
सिटीजन डेवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट,  
266 / 289, भद्रेवा बाजार खाला,  
लखनऊ।

### नोटिस

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत सन्दर्भ संस्थाओं को इम्पैनल्ड किये जाने हेतु प्राप्त आ०एफ०पी० संख्या—३४४९/२४१/NULM/Teen/2001(SM&ID)) दिनांक 13-01-2015 के माध्यम से जारी तकनीकी निविदा के सापेक्ष प्राप्त निविदाओं के परिणाम इस कार्यालय के पत्रांक संख्या—२७५/२४१/NULM/Teen/2001(SM&ID) दिनांक 28.04.2015 के द्वारा आपकी संस्था को चयनित/इम्पैनल्ड किया गया है तथा उक्त तारतम्य में कार्यादेश पत्रांक ६२६/२४१/NULM/Teen/2001(SM&ID) दिनांक 20.05.2015 निर्गत किया गया है। तदोपरान्त राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई एवं सन्दर्भ संस्थाओं के मध्य अनुबन्ध किये जाने हेतु दिनांक 10.06.2015 तक की तिथि निश्चित की गयी थी। निश्चित तिथि तक आपकी संस्था द्वारा अनुबन्ध के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जबकि इस कार्यालय द्वारा योजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु अनुबन्ध कर तत्काल कार्य प्रारम्भ करने हेतु आपसे निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। कृपया स्पष्ट करें कि आपके द्वारा आ०एफ०पी० प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण औपचारिक कार्यवाही पूर्ण न किये जाने की दशा में क्यों न आपकी संस्था द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि की ई०एम०डी० को जप्त करते हुए आपकी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

कृपया उपरोक्त संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत होने के 10 दिवसों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें एवं अनुबन्ध की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें अन्यथा इस कार्यालय को लिखित उत्तर न प्राप्त होने की दशा में यह माना जायेगा कि उक्त के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदनुसार आपकी संस्था द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को जप्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

शिलेन्द्र कुमार सिंह  
मिशन निदेशक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १ सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
- २ निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०।
- ३ सहायक बेवमास्टर सूडा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

शिलेन्द्र कुमार सिंह  
मिशन निदेशक



पत्रांक— 1538 /241/NULM/Teen/2001(SM&ID)

राज्य नगरीय विकास अभियान उम्प्र० लखनऊ  
नवबेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

दिनांक १५/८/२०१५

प्राथमिकता / समयबद्ध

डाटामेशन फाउण्डेशन चैरिटेबिल ट्रस्ट,  
एल-213, सेक्टर-एल, एल0डी0ए0 कालोनी,  
जेल रोड, लखनऊ।

### नोटिस

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत सन्दर्भ संस्थाओं को इम्पैनल्ड किये जाने हेतु प्राप्त आर0एफ0पी0 संख्या—1538/241/NULM/Teen/2001(SM&ID) दिनांक 02-08-2014 के माध्यम से जारी तकनीकी निविदा के सापेक्ष प्राप्त निविदाओं के परिणाम इस कार्यालय के पत्रांक संख्या—3189/241/NULM/Teen/2001(SM&ID) दिनांक 05.12.2014 के द्वारा आपकी संस्था को चयनित/इम्पैनल्ड किया गया है तथा उक्त तारतम्य में कार्यादेश पत्रांक 626/241/NULM/Teen/2001(SM&ID) दिनांक 20.05.2015 निर्गत किया गया है। तदोपरान्त राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई एवं सन्दर्भ संस्थाओं के मध्य अनुबन्ध किये जाने हेतु दिनांक 10.06.2015 तक की तिथि निश्चित की गयी थी। निश्चित तिथि तक आपकी संस्था द्वारा अनुबन्ध के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जबकि इस कार्यालय द्वारा योजना के त्वरित कियान्वयन हेतु अनुबन्ध कर तत्काल कार्य प्रारम्भ करने हेतु आपसे निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। कृपया स्पष्ट करें कि आपके द्वारा आ0एफ0पी0 प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण औपचारिक कार्यवाही पूर्ण न किये जाने की दशा में क्यों न आपकी संस्था द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि की ई0एम0डी0 को जप्त करते हुए आपकी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

कृपया उपरोक्त संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत होने के 10 दिवसों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें एवं अनुबन्ध की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें अन्यथा इस कार्यालय को लिखित उत्तर न प्राप्त होने की दशा में यह माना जायेगा कि उक्त के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदनुसार आपकी संस्था द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को जप्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(शिलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1 सविव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उम्प्र० शासन।
- 2 निदेशक, स्थानीय निकाय, उम्प्र०।
- 3 सहायक बेवमास्टर सूडा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शिलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक



पत्रांक-

15/P/241/NULM/Teen/2001(SM&amp;ID)

रमाप 0522-2286709  
फैस्स 0522-2286711  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ  
नवघेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

दिनांक 14/4/2015

प्राथमिकता / समयबद्ध

सचिव,  
विकलांग मंदबुद्धि कल्याण समिति,  
रामपुर रोड, हल्द्वानी सिंधी विलिंग,  
मुगली गाड़ैन, नैनीताल, उत्तराखण्ड।

नोटिस

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत सन्दर्भ संस्थाओं को इम्पैनल्ड किये जाने हेतु प्राप्त आर0एफ0पी0 संख्या-3849/241/NULM/Teen/2001(SM&ID)) दिनांक 13-01-2015 के माध्यम से जारी तकनीकी निविदा के सापेक्ष प्राप्त निविदाओं के परिणाम इस कार्यालय के पत्रांक संख्या-275/241/NULM/Teen/2001(SM&ID) दिनांक 28.04.2015 के द्वारा आपकी संस्था को चयनित/इम्पैनल्ड किया गया है तथा उक्त तारतम्य में कार्यादेश पत्रांक 626/241/NULM/Teen/2001(SM&ID) दिनांक 20.05.2015 निर्गत किया गया है। तदोपरान्त राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई एवं सन्दर्भ संस्थाओं के मध्य अनुबन्ध किये जाने हेतु दिनांक 10.06.2015 तक की तिथि निश्चित की गयी थी। निश्चित तिथि तक आपकी संस्था द्वारा अनुबन्ध के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जबकि इस कार्यालय द्वारा योजना के त्वरित कियान्वयन हेतु अनुबन्ध कर तत्काल कार्य प्रारम्भ करने हेतु आपसे निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। कृपया स्पष्ट करें कि आपके द्वारा आ0एफ0पी0 प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण औपचारिक कार्यवाही पूर्ण न किये जाने की दशा में क्यों न आपकी संस्था द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि की ई0एम0डी0 को जप्त करते हुए आपकी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

कृपया उपरोक्त संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत होने के 10 दिवसों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें एवं अनुबन्ध की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें अन्यथा इस कार्यालय को लिखित उत्तर न प्राप्त होने की दशा में यह माना जायेगा कि उक्त के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदनुसार आपकी संस्था द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को जप्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(शिलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1 सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2 निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
- 3 सहायक बैवमास्टर सूडा को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शिलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक